

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
शुक्रवार, 10 फरवरी, 2006/माघ 21, 1927 (शक)

संख्या- 126

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित,  
एस.एच.ओ., आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय  
उपाध्यक्ष, श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के  
अंतर्गत, दिनांक 10.02.2006 को 15.15 बजे, शहीद भगत सिंह पार्क, नई दिल्ली  
से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 1520 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Friday, 10<sup>th</sup> February 2006/ 21 Magha 1927 (Saka)

No. 126

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha,  
Delhi, was received from SHO, I.P. Estate, New Delhi

"I have the honour to inform you that Sh. Shoaib Iqbal, Deputy Speaker,  
Delhi Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act,  
1978 from Shahid Bhagat Singh Park, New Delhi at 1515 Hrs. on 10.2.2006.

He was released at 1520 Hrs. from the same place on the same date.”

Siddharath Rao  
Secretary